अनुकम्पात्मक नियुक्ति (Compassionate Appointment) नियम

यदि किसी भी हमारे सरकारी अधिकारी–कर्मचारी भाई–बहन की सेवा के दौरान ही अकाल मृत्यु हो जाए तो हम जानते हैं कि आश्रित परिवार पर कैसे आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। सरकार द्वारा इस स्थिति में किसी एक 'आश्रित' (Dependant) को सरकारी सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति (Compassionate Appointment) देने के नियम बनाए हुए हैं।

इन नियमों के ज्ञान के अभाव में आश्रित परिवार को इन नियुक्तियों को प्राप्त करने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। सरकारी विभाग में बैठे असंवेदनशील कर्मचारी/अधिकारी इन अनुकम्पात्मक नियुक्तियों को एक दुःस्वप्न में बदल देते हैं। हमें यदि किसी की सहायता करनी है तो हमें इन नियमों का थोड़ा–बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ इन्हीं नियमों का मूल रूप में ही विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। इन नियमों में मुख्यतः–

1. अनुकम्पात्मक नियुक्ति के मूल नियम
2. कर्मचारी की परिभाषा जिसके आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जा सकती है।
3. आश्रित की परिभाषा
4. दत्तक पुत्र/पुत्री की शर्त
5. विधवा के लिए कुछ छूट
6. टाइपिंग/कम्प्यूटर टैस्ट की शर्त
7. दिव्यांग जन के लिए टाइपिंग/कम्प्यूटर टैस्ट में छूट की शर्त
8. नौकरी के दौरान हत्या के बाद अनुकम्पात्मक नियुक्ति।
9. ग्रेड पे में वृद्धि की शर्त।
10. राज्य स्तर की बजाय जिला स्तर पर टाइपिंग टैस्ट की शर्त।
11. सबसे बड़े दावेदार की शर्त और उसके ज्वाइन नहीं करने पर दूसरे दावेदार को अवसर की शर्त।

इसी प्रकार के अन्य सभी आदेशों को समाहित करती तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची सहित ये 33 पेज की बुकलैट यहाँ प्रस्तुत है।

सं. एफ. 5(51)कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक 31.12.96

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक आधारों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (i) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 है ।

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे, सरकार द्वारा सुसंगत सेवा नियमों, यदि कोई हों, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी हों;

(ख) "मृत सरकारी कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किया गया था और इसमें राजस्थान राज्य के संवर्ग का अखिल भारतीय सेवाओं का वह सदस्य भी सम्मिलित है जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि के प्रति विकलनीय था और जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो :-

(i) स्थायी था, या

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था, या

(iii) अर्जेण्ट/अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया था और जिसने इस रूप में एक वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली थी ;

(ग) "आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से गृहीत दत्तक पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी

...2

7. अर्हतायें– §1§ आश्रित के पास नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित अर्हतायें होनी चाहिए ।

§2§ चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करते समय पद के लिए शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जायेगी ।

§3§ किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी स्वंय का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा संबंधित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तों को देखते हुए, वह सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

8. आयु– आश्रित को नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए ।

परन्तु:–

§i§ किसी विधवा के लिए कोई अवधि§अधिकतम§ आयु सीमा नहीं होगी ।

§ii§ अन्य के लिए अवधि §अधिकतम§ आयु सीमा उस कालावधि में पांच वर्ष तक शिथिलनीय रहेगी या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, होगी ।

§iii§ आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख, नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख होगी । एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है ।

9. प्रक्रियात्मक अपेक्षायें आदि– प्रारंभिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं, जैसे, प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जायेगा । तथापि, आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय अनुक्रम नहीं की जायेगी । ऐसी अर्हतायें अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुक्रम की जायेंगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी।

टिप्पण:– इस नियम के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष अभ्यर्थियों की संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष ऐसी परीक्षा§टैस्ट§ आयोजित करेगा ।

...4

10. प्रक्रिया-§1§ किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसका जीवित पति या पत्नी स्वयं को या किसी अन्य आश्रित को नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा ।

§2§ जहाँ मृत सरकारी कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न हो, वहाँ मृत सरकारी के किसी भी आश्रित द्वारा भी आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी : परन्तु यह कि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो विभागाध्यक्ष संपूर्ण परिवार, विशेष कर अवयस्क सदस्यों के संगृहित और कल्याण को देखते हुए किसी एक का चयन करेगा ।

§3§ ऐसा आवेदन उपबन्ध "क" के रूप में संलग्न प्रारूप में मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 45 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष को किया जायेगा । अभ्यर्थी आवेदन के स्तंभ 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय§सभी स्त्रोतों से§ के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

§4§ अखिल-भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा और राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा आदि के मामलों में जहाँ अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किये जाते हैं, आवेदन उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उस सेवा को नियन्त्रित करने वाले प्रशासनिक विभाग को किये जायेंगे जहाँ मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय पद-स्थापित था ।

§5§ प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह आश्रितों को अपने स्वयं के विभाग में नियुक्ति दे और किसी भी दशा में इस दायित्व को अन्य विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ।

§6§ उपयुक्त पद रिक्त न होने की दशा में नियोजन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे यदि निम्नतर वेतनमान में को कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो

के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं होता है तो मामला अन्य विभाग में नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा ।

(7) राज्य संवर्गों वाली सेवाओं, जैसे कार्मिक विभाग द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा, के सदस्यों की मृत्यु की दशा में, आवेदन सचिव, कार्मिक विभाग को किया जायेगा और यह कार्मिक विभाग का दायित्व होगा कि वह किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करे ।

11. <u>अध्यारोही प्रभाव</u>- इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ये नियम और इनके अधीन जारी किये गये कोई आदेश प्रभाव में रहेंगे ।

12. <u>नोडल विभाग</u>- कार्मिक (क-2) विभाग इन नियमों को प्रशासित करने के, प्रयोजनार्थ नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और वह ऐसा कोई सामान्य या विशेष आदेश कर सकेगा जो वह इन नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

13. <u>शंकाओं का निराकरण</u>- यदि इन नियमों के लागू करने, निर्वचन और विस्तार संबंधी कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

14. <u>कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति</u>- राज्य सरकार किसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ (उसकी विद्यमानता के लिए जिसके लिए वह एक मात्र निर्णायक है) इन नियमों के किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन के लिए ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश दे सकेगी जैसा वह खरे व्यौहार के हित में या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

15. <u>निरसन एवं व्यावृत्ति</u>- विद्यमान राजस्थान सेवा काल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 और उनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेशों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

repealed / superseded

परन्तु इस प्रकार निरसित/अतिष्ठित किये गये नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सूरजमल केडवाल)
उप शासन सचिव

तुम्ड/-

आवेदन –पत्र का प्रारूप

भाग–1

1. मृतक राज्य कर्मचारी का नाम व पद
2. निधन की दिनांक एवं स्थान (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
3. विभाग का नाम जिसमें वह मृत्यु के समय कार्यरत था
4. मृत्यु के समय धारित पद तथा उसका वेतनमान
5. नियुक्ति का प्रकार : (स्थाई / अस्थाई)
6. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक
7. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का विवरण :– (केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखे जायें)-

क.सं.	नाम	मृतक से संबंध	जन्म दिनांक एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित / अविवाहित	मासिक आय * रुपये
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

* नियम 10(3) में यथा विर्णित शपथ–पत्र संलग्न करे ।

भाग–2

राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण –

आवेदक की फोटो

1. नाम
2. आयु एवं जन्मतिथि
3. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र सलग्न करें)
4. मृतक राज्य कर्मचारी से संबंध
5. आवेदित पद का नाम व वेतनमान

स्थाई पता :–

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग – 3

यदि आवेदक विधवा स्वयं नही है तो विधवा / अन्य आश्रितों की सहमति

मैने आवेदन के भाग (1) व (2) में उल्लिखित सूचना पढ़ ली हैं। भली प्रकार सुन ली हैं। आवेदक को नौकरी दिये जाने हेतु मेरी / अन्य आश्रितों की सहमति हैं। जिसके समर्थन में मेरा / अन्य आश्रितों का घोषणा पत्र संलग्न हैं।

विधवा के हस्ताक्षर

साक्ष्य : 1.
2.

भाग – 4

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि :–

(1) आवेदन पत्र विभाग में दिनांक..... को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या ..... दिनांक ..... पद दर्ज हैं।

(2) आवेदन पत्र में अंकित सूचनायें मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख के अनुसार सही है । नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद .....पद नियुक्ति का पात्र हैं।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

भाग–5

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र यदि आवेदन पत्र अन्य विभाग को भेजा जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि –

(1) आवेदक आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र है किन्तु यह पद..... ..... विभाग में नही हैं। अतः आवेदन पत्र..... को अग्रषित किया जा रहा हैं।

(2) मृतक कर्मचारी के नियम के पश्चात् आज तक उसके स्थान पर किसी भी आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं दी गई हैं।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

आवेदक का प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हुँ कि आवेदन पत्र के भाग (1) व (2) में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य पाया जावे तो मेरी सेवाऐं समाप्त की जा सकेंगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

8

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 5(51)कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक 19.4.1999

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 1996 है ।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रदत्त होंगे ।

2. नियम 2 का संशोधन :- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ग) की तीसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "दत्तक पुत्र/पुत्री" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दत्तक पुत्र/अविवाहित दत्तक पुत्री" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

3. नियम 5 का संशोधन :- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"5. कतिपय शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति :-

जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी अथवा मृत सरकारी कर्मचारी का कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/अविवाहित दत्तक पुत्री केन्द्र/किसी राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है ।"

4. नियम 10 का संशोधन :- उक्त नियमों के नियम 10 के विद्यमान उप नियम (3), (5) और (6) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

.....2/-

"§3§ ऐसा आवेदन उपाबंध "क" के रूप में संलग्न प्रारूप में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को किया जायेगा । आवेदक विहित आवेदन के स्तम्भ संख्या 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय §सभी स्त्रोतों से§ के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा । परन्तु जहाँ पति या पत्नि स्वयं के लिए नियुक्ति नहीं चाहता है/चाहती हो और ऐसा आश्रितों में ज्येष्ठतम भी 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो §इस आशय की सूचना सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से तीन मास के भीतर लिखित में दी जाये§, तो वहाँ परिसीमा की उपर्युक्त कालावधि ऐसे ज्येष्ठतम आश्रित द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से प्रारम्भ होगी ।

§5§ विभागाध्यक्ष या, यथास्थिति, कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह आश्रित को यथासंभव अपने विभाग में ही नियुक्ति दे ।

§6§ यदि कोई उपयुक्त पद रिक्त न हो किन्तु निम्नतर वेतनमान में का कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो ऐसे निम्नतर पद का आवेदक को "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रस्ताव किया जा सकता है और आवेदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो आवेदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करे । यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आवेदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा/खो देगी और उसके दावे को प्रतीक्षासूची में नहीं रखा जायेगा । परन्तु यदि उस विभाग में, जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था, कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो मामला तुरन्त कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जो तर्कपूर्ण कारणों द्वारा सम्यकरूप से समर्थित होगा और कार्मिक विभाग किसी अन्य विभाग में नियुक्ति उपलब्ध करायेगा ।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

§ सूरजमल केड़वाल §
उप शासन सचिव

28/99

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक एफ.5(51) कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक 20.1.2000

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 1999 है ।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 6 का संशोधन :- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 6 के उप-नियम (1) में, अभिव्यक्ति "वेतनमान संख्या" और अभिव्यक्ति" के पदों पर" के बीच आयी विद्यमान अभिव्यक्ति" 1 से 9 तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 से 9-क तक" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांकः-प.10(3)कार्मिक/क-2/पार्ट   जयपुर, दिनांक 30.10.2000

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(3)कार्मिक/क-2/94 दिनांक 21.3.2000 तथा समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 20.3.2000 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा/नियंत्रण रेखा पर संघर्ष के दौरान युद्ध/हवाई हमले में अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा मिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिये कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी।

यह परिपत्र वित्त विभाग की सहमति U.O. 313/पी.एस.एफ./2000 दिनांक 19.10.2000 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(एस.एन. शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।
3. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, राज.।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

1. सचिव, निजी सचिव, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव।
2. रजिस्ट्रार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

1. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राज. विधान सभा, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. महालेखाकार, राज. जयपुर।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-2) विभाग

सं० एफ 5(5)(डीओपी/ए-II/88 जयपुर, दिनांक 27/7/01

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में और संशोधन करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2001 है ।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।

2- नियम 5 का संशोधन - राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 5 में, नियम 5 के विद्यमान उपबंध नियम 5 के उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किये जायेंगे तथा इस प्रकार संख्यांकित किये गये उप-नियम(1) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम(2) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(2) इन नियमों के अधीन नियुक्ति इस शर्त पर कि अनुकंपात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति परिवार के उन अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, उचित तौर पर भरणपोषण करेगा तथा लिखित वचनबंध देने पर दी जायेगी कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे उचित तौर पर भरणपोषण करेगा/करेगी । यदि तत्पश्चात, किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरणपोषण नहीं किया जा रहा है तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी, क्यों न उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये का स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् नियुक्ति समाप्त कर सकेगा ।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(एस०एन० शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग
.....

क्रमांक एफ. 5(5) (कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक 2.8.2001

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2001 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 6 का संशोधन :- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 6 के विद्यमान उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

"परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसका अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के दौरान वध हो जाता है, उसके आश्रित की शैक्षिक अर्हताओं और तुलगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए तथा कार्मिक विभाग और यदि वह आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति से वेतनमान सं. 10 से 11 में आने वाले और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए तात्पर्यित पद पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकेगा ।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(एस. एन. शर्मा)

उप शासन सचिव

14

राजस्थान सरकार
कार्मिक विभाग
(क-ग्रुप-II)

सं.एफ. 5(51)कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक: 11.9.2002

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2002 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 10 का संशोधन. - राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 10 के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) ऐसा आवेदन इन नियमों के उपाबंध-क में संलग्न प्रोफार्मा में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर-भीतर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को किया जायेगा । आवेदक आवेदन के भाग-I के स्तम्भ सं. 7 में उल्लिखित परिवार के समस्त सदस्यों की (सभी स्त्रोतों से) मासिक आय के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु किसी आपवादिक मामले में, जहाँ राज्य सरकार के कार्मिक विभाग का यह समाधान हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों का प्रवर्तन मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय कठिनाई कारित करता है और किसी मामले विशेष में इस उप-नियम के उपबन्धों को शिथिल किया जाना आवश्यक या समीचीन समझा जाता है तो वह इस उप-नियम के उपबन्धों को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह उस मामले के न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगा ।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(एस०एन० शर्मा)
उप शासन सचिव

25/2002

19

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 7 (2) डीओपी/ए–II/2005 जयपुर, दिनांक : 13-6-2008

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन** .– राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

> "(ख) "मृत सरकारी कर्मचारी" से, अखिल भारतीय सेवा के राजस्थान राज्य संवर्ग के किसी सदस्य सहित, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किया गया था और जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि से विकलनीय था तथा जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो :–
>
> (i) स्थायी था, या
>
> (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था और जिसने परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवीक्षाकाल सहित कम से कम तीन वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी।"।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(डॉ. लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

30/08

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)

No. F.5 (51) DOP/A-II/88 pt. Jaipur, dated : 7.9.09

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of the Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996; namely :-

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment Dependants of Deceased Government Servants (Amendment) Rules, 2009.

   (2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 9.-** The existing rule 9 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, shall be substituted by the following, namely:-

   "**9. Procedural Requirement etc.**- The procedural requirement for selection such as training or departmental examination or typing test shall not be insisted upon at the initial appointment. The dependants shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test, within a period of 3 years for entitlement for confirmation failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments will be allowed until he/she acquires such qualifications. On acquiring such qualifications annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid:

   Provided that the widow appointed under the provisions of these rules shall be exempted from passing the typing test.

   Note: - For the purpose of this rule the Director, Bhasha Vibhag shall conduct typing test every year irrespective of the number of candidates."

By Order and in the name of the Governor

(B. K. Dosi)
Deputy Secretary to the Government

21/2009

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकःप.5(3)कार्मिक/क–2/94 पार्ट जयपुर, दिनांकः अप्रेल 13, 2010

परिपत्र

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01/10/2002 एवं 10/06/2008 के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के सशस्त्र बलों के ऐसे सदस्य जो युद्ध या विद्रोहीयों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में शहीद हो जाते हैं अथवा स्थायी रूप से अशक्त हो जाते हैं, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति दी जायेगी। इस संबंध में उक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है किः

1. आश्रित द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में उस जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जिस जिले का वह मूल निवासी है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक नियुक्ति हेतु पात्र है तथा आवेदन पत्र के साथ अभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उपरोक्तानुसार जाँच उपरांत संतुष्ट होने पर अपनी सिफारिश संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।

2. यदि संबन्धित जिले में अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु कोई उपयुक्त पद रिक्त हो तो जिला कलेक्टर संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उस पद हेतु निर्धारित नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को अपनी अभिशंषा के साथ आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु अग्रेषित करेगें तथा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आदेश जारी करेंगे।

3. यदि संबन्धित जिले में अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु कोई उपयुक्त पद रिक्त नहीं हो तो जिला कलेक्टर आवेदन पत्र को अपने संभाग के संभागीय आयुक्त को अग्रेषित करेंगे। सम्भागीय आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य जिलों में यदि कोई उपयुक्त पद रिक्त हो तो संभागीय आयुक्त संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उस पद हेतु निर्धारित नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को अपनी अभिशंषा के साथ आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु अग्रेषित करेगें तथा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आदेश जारी करेंगे।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जिला कलेक्टर / सम्भागीय आयुक्त द्वारा **आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को कार्मिक विभाग के मार्फत अग्रेषित नहीं किये जाने हैं**। जिला कलेक्टर / सम्भागीय आयुक्त सीधे ही संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु अग्रेषित करेगें।

यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन आने वाले किसी भी जिले में कोई उपयुक्त रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो संभागीय आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किए जायेंगे।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 10(3)कार्मिक/क–2/75 पार्ट दिनांक 30/10/2000 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि **इस प्रकार के प्रकरणों में आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिए कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है**। उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय–समय पर **नयी नियुक्तियों पर लगाये जाने वाला प्रतिबन्ध भी इन अनुकम्पात्मक नियुक्तियों पर लागू नही होगा**।

समस्त संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि ऐसे आश्रितों को नियमानुसार शीघ्र नियुक्ति दिलवाये जाने की कार्यवाही की जावे तथा इस हेतु नियोजन की प्रगति से सैनिक कल्याण विभाग को भी समय–समय पर अवगत कराया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देश आपके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लायें तथा इनकी पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर, दिनांकः 19-08-2010

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7(2)कार्मिक/क–2/06 दिनांक 5.7.2010 द्वारा संबंधित नियमों यथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 एवं राज0 लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार कनिष्ठ लिपिक पद हेतु अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वारा सीनियर सेकेन्डरी उत्तीर्ण होने के साथ कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण किये जाने की अहर्ता होना अनिवार्य है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करते समय मृतक के आश्रित के पास भी उक्त योग्यता का होना आवश्यक है। अतः मृतक के आश्रित को नियुक्ति से पूर्व 6 माह की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि उक्त अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता प्राप्त कर सके। उक्त योग्यता प्राप्त करने के उपरान्त ही मृतक के आश्रित को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 में वर्णित टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 5.7.2010 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

अतः समस्त नियुक्ति अधिकारियों/प्राधिकारियों को व्यादिष्ठ किया जाता है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नियुक्ति में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

19/8/10

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 5(51)कार्मिक/क–/88 पार्ट जयपुर, दिनांकः 21/9/10

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासनं सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

इस विभाग की अधिसूचना कमांक 7(2)कार्मिक/क–2/06 दिनांक 5.7.2010 द्वारा संबंधित नियमों यथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 एवं राज0 लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार कनिष्ठ लिपिक पद हेतु अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वारा सीनियर सेकेन्डरी उत्तीर्ण होने के साथ कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण किये जाने की अहर्ता होना अनिवार्य है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करते समय मृतक के आश्रित के पास भी उक्त योग्यता का होना आवश्यक है। चूंकि मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः **इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.8.2010 में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि** उक्त नियमों के अन्तर्गत मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी अर्थात बिना कम्प्यूटर की योग्यता के प्रथमतः अनुकम्पात्मक नियुक्ति तो दे दी जावेगी लेकिन नियुक्ति उपरान्त एक वर्ष में कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

अतः समस्त नियुक्ति अधिकारियों/प्राधिकारियों को व्यादिष्ठ किया जाता है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नियुक्ति में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(खेमराज) 21/9/10
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राज0 जयपुर ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)

No. F. 7(2) DOP/A-II/2005 Jaipur, dated: 26-4-2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 2.-** The existing clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, shall be substituted by the following, namely:-

"(b)"Deceased Government Servant" means a person who was employed in connection with the affairs of the State including a member of All India Services of Rajasthan State Cadre and whose pay was dabitable to the consolidated fund of the State and who died while in service and, who was,-

(i) permanent, or
(ii) holding a post temporarily after appointment on regular basis and had put in at least one year continuous service as probationer-trainee."

By order and in the name of the Governor,

(Nalini Kathotia)
Deputy Secretary to the Government,

12/2011(V)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Group-II)

No. F.5(51)DOP/A-II/88 Pt Jaipur, dated 25.04.2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants (Amendment) Rules. 2012

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 6.-** In sub-rule (2) of rule 6 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, the following proviso shall be added, namely

"Provided that in cases where a dependent to whom appointment is offered does not join for any reason whatsoever, another dependent who is otherwise eligible for appointment under these rules may be considered for compassionate appointment, if he applies within ninety days from the date on which the earlier appointment order was received by the appointee."

By order and in the name of the Governor,

(Nalini Kathotia)
Deputy Secretary to the Government

21/2012

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)

No. F. 5(51) DOP/A-II/88 Pt. Jaipur, Dated: 25.04.2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants (Second Amendment) Rules, 2012.
(2) Rule 2 of these amendment rules shall come into force with immediate effect and rule 6 of these amendment rules shall be deemed to have come into force with effect from 01-09-2006.

2. **Amendment of rule 2.-** In clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules,1996, hereinafter referred to as the said rules, the existing sub-clause (ii) shall be substituted, with immediate effect, by the following, namely:-

"(ii) holding a post temporarily after appointment on regular basis including period of probation as probationer trainee."

3. **Amendment of rule 6.-** In sub-rule (1) of rule 6 of the said rules, with effect from 01-09-2006,-

(i) for the existing expression "pay scale No. 1 to 9A", the expression "Grade pay No. 1 to 10 (Rs. 1300/- to 2800/-)" shall be substituted.
(ii) in proviso, for the existing expression "Pay Scale No. 10 to 11", the expression "Grade pay No. 11 to 12 (Rs. 3200/- to 3600/-)" shall be substituted .

By Order and in the name of the Governor,

(Nalini Kathotia)
Deputy Secretary to the Government

22/2012

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)

No.F. 5(51)DOP/A-II/88pt. Jaipur, Dated: 14.06.13

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants (Amendment) Rules, 2013

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 05.07.2010

2. **Amendment of rule 9.**- The existing rule 9 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, shall be substituted by the following, namely:-

"**9. Procedural requirement etc.**- The procedural requirement for selection such as training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the initial appointment. The dependants shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer in any one language either in English or in Hindi within a period of 3 years for entitlement for confirmation failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments will be allowed until he/she acquires such qualifications. On acquiring such qualifications annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid:

Provided that the widow appointed under the provisions of these rules shall be exempted from passing the typing test on computer.

Note:- For the purpose of this rule the Director, Bhasha Vibhag shall conduct typing test on computer every year irrespective of the number of candidates."

By order and in the name of the Governor,

(Dinesh Kumar Yadav)
Joint Secretary to the Government

39/2013

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 12(7)कार्मिक/क–2/2014 जयपुर, दिनांक : 20/2/15

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शसन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक के परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है। शासन के ध्यान में यह आया है कि कतिपय नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति दिये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में असाधारण विलम्ब किया जाता है, जिसके कारण ऐसी नियुक्तियों का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

मृतक राज्य कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–10(3) के तहत मृतक आश्रित को मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस में आवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया जाता है। प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, पात्र पाये जाने पर, तीन माह की अवधि में, विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर आवश्यक रूप से नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था करावें। अगर सम्बन्धित विभाग में पद रिक्त नहीं हो तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.04.2001 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु, आवेदन के तीन माह की अवधि में प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

कार्मिक विभाग द्वारा अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रेषित किये जाने पर, आवश्यक पूर्तियां सुनिश्चित कर तीन माह की अवधि में नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जानी चाहिये। अनेक प्रकरणों में आयु सीमा एवं आवेदन में विलम्ब अवधि में शिथिलन के प्रकरण कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। ऐसे प्रकरण भी आवेदन के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिये।

कार्मिक विभाग से शिथिलन प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कुछ प्रकरणों में लम्बी अवधि तक नियुक्ति की प्रक्रिया को लम्बित रखा जाता है तथा अनेक प्रकरणों में पुनः शिथिलन के लिए कार्मिक विभाग को भेज दिया जाता है जो स्वस्थ परम्परा नहीं है।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कार्मिक विभाग से जारी शिथिलन आदेश की दिनांक से एक वर्ष के भीतर नियुक्ति/कार्यग्रहण आदि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जावे। इसके बाद शिथिलन की अवधि स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

प्रशासनिक विभाग उक्त दिशा–निर्देशों (भय समयावधि) की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

19/2/15
(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

4/2015

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)

No. F 5(51)DOP/A-II/88 Pt. Jaipur, dated: 08.04.2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 5. - In rule 5 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, for the existing expression "at the time of death of the Government servant.", the expression "at the time of the death of the Government servant or at the time of appointment of the dependant." shall be substituted.

By order and in the name of Governor,

(O.P. Gupta)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक : 26 AUG 2015

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय–मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने एवं टंकण गति परीक्षा के संबंध में

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक अपेक्षा में तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए पात्र बनाने हेतु 'विहित प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा' या 'अंग्रेजी/हिन्दी में कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा' उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–द्वितीय) या समकक्ष पद हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(67)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 31.07.99 की अनुपालना में भाषा विभाग द्वारा टंकण गति परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती रही है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.07.2010 के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 19.09.2010 एवं 21.09.2010 के अनुसार मृतक के आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि में अर्जित करना तथा टंकण गति परीक्षा नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों को अधिक अवसर प्रदान करने एवं अवधि गणना संबंधी भ्रांतियों को दूर करने हेतु भाषा विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 23(1)भापुवि/क.टं.प./2012/2570 दिनांक 03.07.2015 जारी किया गया है जिसके अनुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–द्वितीय) या समकक्ष पद हेतु टंकण गति परीक्षा आगे से वर्ष में तीन बार निम्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जावेगी:–

क्र.सं.	आवेदन प्राप्त होने की अवधि	माह, जिसमें परीक्षा आयोजित होगी
1	01 अगस्त से 30 नवम्बर तक	जनवरी
2	01 दिसम्बर से 31 मार्च	मई
3	01 अप्रैल से 31 जुलाई	सितम्बर

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों की तीन वर्ष की अवधि की गणना उनकी नियुक्ति दिनांक से परीक्षा आयोजित होने वाले माह (जनवरी/मई/सितम्बर) के अन्तिम दिवस को आधार मानकर की जावेगी। अर्थात नियुक्ति दिनांक से परीक्षा आयोजित करने के माह की अन्तिम तारीख तक, जिस कार्मिक को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, उसको ही संबंधित परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा। अवधि पार मामलों में पात्रता तभी होगी जब सक्षम स्तर से शिथिलता/अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।

अतः भाषा विभाग द्वारा घोषित की गई उक्त परिवर्तित व्यवस्था की ओर सभी नियुक्ति प्राधिकारियों का ध्यान विशेषतः आकर्षित करते हुए व्यादिष्ट किया जाता है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 एवं परिपत्र दिनांक 19.08.2010 एवं 21.09.2010 की अनुपालना में संबंधित मृतक आश्रित को नियुक्ति पश्चात कम्प्यूटर योग्यता एवं टंकण गति परीक्षा निर्धारित समयावधि में उत्तीर्ण करने हेतु समय–समय पर निर्देशित करें। उक्त नयी व्यवस्था/निर्देशों को सभी संबंधित की जानकारी में ला दिया जावे। इन निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। असफल कार्मिकों को बिना युक्तियुक्त कारणों के अभाव में शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

कृपया की गयी कार्यवाही से इस विभाग को सूचित भी करावें।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर को इस विभाग का परिपत्र क्रमांक प.3 3(67)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 31.7.99, परिपत्र क्रमांक 5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट दिनांक 19.08.2010 एवं 21.09.2010 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)

No. F. 3(1)DOP/A-II/2013 Jaipur, Dated:- 2 JAN 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 9.- The existing rule 9 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, shall be substituted by the following, namely.-

"**9. Procedural requirement etc.**- The procedural requirement for selection such as,-

(i) computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The dependants of the deceased Government Servant shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;

(ii) training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The dependants shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer in any one language, either in English or in Hindi, within a period of three years, unless the period is relaxed by Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments will be allowed until he/she acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid:

Provided that the widow appointed under the provisions of these rules shall be exempted from having computer qualification and passing the typing test on computer.

Provided further that the persons with disabilities appointed under the provisions of these rules shall be exempted from passing the typing test on computer.

Note: For the purpose of this rule the Director, Bhasha Vibhag shall conduct typing test on computer every year irrespective of the number of candidates."

By order and in the name of the Governor,

2/1/2017
(Sunil Sharma)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक : 21.06.2017

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय–मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात ली जाने वाली टंकण परीक्षा, भाषा विभाग के स्थान पर जिला स्तर पर लिये जाने के संबंध में।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक अपेक्षा में तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए पात्र बनाने हेतु विहित प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा/कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। भाषा विभाग के परिपत्र दिनांक 03.07.2015 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.08.15 के द्वारा टंकण परीक्षा का आयोजन भाषा विभाग द्वारा केवल जयपुर में निम्नानुसार किया जा रहा है:––

क.सं.	आवेदन प्राप्त होने की अवधि	माह, जिसमें परीक्षा आयोजित होगी
1	01 अगस्त से 30 नवम्बर तक	जनवरी
2	01 दिसम्बर से 31 मार्च	मई
3	01 अप्रैल से 31 जुलाई	सितम्बर

अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों की असुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त टंकण परीक्षा केवल कम्प्यूटर पर ही जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा गठित परीक्षा आयोजन समिति द्वारा ली जावेगी। जिला स्तर पर परीक्षा आयोजन समिति का गठन निम्नानुसार किया जावेगा––

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर –अध्यक्ष
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर –सदस्य
3. उपखण्ड अधिकारी, जिला मुखयालय –सदस्य

....2

31/2017

अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति द्वारा कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा लिये जाने हेतु एनआईसी या अन्य उचित एजेंसी का सहयोग प्राप्त कर सकेगी। परीक्षा के आयोजन की तिथि का निर्धारण भाषा विभाग द्वारा वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही तैयार किए जायेंगे। प्रश्न पत्र तैयार करना, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना, परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य, संबंधित गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

अतः अब आगामी परीक्षा हेतु कार्मिक अपना आवेदन, संबंधित जिला स्तर पर गठित समिति को प्रेषित करेंगे। समिति परीक्षा के आयोजन पर होने वाले व्यय हेतु कोष की व्यवस्था, आवेदन पत्र के साथ प्राप्त होने वाले शुल्क राशि से करेगी।

वर्तमान में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में प्राप्त कम्प्यूटर पर परीक्षा हेतु आवेदन पत्र तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक पत्र 3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 24–6–2016 के अनुसार टाइपराइटर मशीन पर अन्तिम परीक्षा हेतु एक अवसर प्रदान किया गया था। उन सभी कार्मिकों की भी अब टंकण परीक्षा टाईपराईटर पर नहीं ली जाकर, कम्प्यूटर पर ही ली जावेगी।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों एवं जिला कलक्टरर्स को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

(भास्कर ए. सावन्त)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर को उपरोक्त दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

21/6/2017
संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)

No. F. 5(51)DOP/A-II/88 Pt. Jaipur, Dated:- 3.07.2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01-01-2016.

2. Amendment of rule 6.- In rule 6 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "Grade pay No. 1 to 10 (Rs.1300/- to 2800/-)", the expression "Level-1 to Level-9 in Pay Matrix" shall be substituted; and

(ii) in proviso to sub-rule (1), for the existing expression "Grade pay No. 11 to 12 (Rs. 3200/- to 3600/-)", the expression "Level-10 to Level-11 in Pay Matrix" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor,

(Jai Singh)
Deputy Secretary to the Government

1. आवेदन पत्र नियमो में निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर भिजवावे।
2. आवेदक को नियुक्ति देने में सहमति का आश्रित परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों का शपथ–पत्र।
3. पेंशन राशि सहित परिवार की कुल आय का अलग अलग मदवार आवेदक का शपथ–पत्र।
4. नियुक्ति उपरान्त कोई अन्य आश्रित नियुक्ति का हकदार नही होने का आवेदक का शपथ–पत्र।
5. मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यो के नियम–5 के अनुसार निम्न शपथ–पत्र निर्धारित भाषा में ही देवें:–

   स्व0 श्री...............के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, सगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नही है, एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।
6. आक्षेप संख्या–5 मे अंकित भाषा में जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।
7. नियुक्ति उपरान्त आश्रित परिवार के भरण–पोषण करने के संबध में आवेदक का शपथ–पत्र, स्पष्ट अंकित करावें कि भरण–पोषण नही करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त कर दी जावे।
8. आवेदक पुत्री होने पर अविवाहित होने का शपथ–पत्र प्रस्तत करें।
9. आवेदक यदि पत्नी है तो पुनः विवाह नही करने का का शपथ–पत्र।
10. मृतक कर्मचारी की सेवायें [illegible]त्तर होने का कमांक/दिनांक सहित जि.शि.अ. कर प्रमाण–पत्र।
11. प्रार्थी की जन्मतिथि/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों की पठनीय प्रमाणित प्रति।
12. मृत्यु प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
13. शिथिलन की स्थिति में मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति होने का आवेदक का शपथ पत्र।
14. प्रकरण में शिथिलन की स्थिति में मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने की स्थिति में प्रदत्त प्रमाण पत्र।
15. मृतक राज्य कर्मचारी के सेवा समाप्ति आदेश की पठनीय प्रमाणित प्रति।
16. मृतक राज्य कर्मचारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का होने की [illegible] शि.अ.स्पष्ट प्रमाण–पत्र देवे–

    यह प्रमाणित किया जाता है कि मृतक कर्मचारी स्व श्री.........राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विधालय...........जिला..............में कार्यरत थे ये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के कार्मिक होते हुए राज्य कर्मचारी थे। ये पंचायती राज के कर्मचारी नही थे।
17. आवेदक द्वारा आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने पर औचित्य सहित शपथ–पत्र।
18. विभाग द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो औचित्य सहित कारण स्पष्ट करते हुए दोषी के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित करावे।
19. परिशिष्ट–1 पूर्ण भरकर परीक्षण उपरान्त जिशिअ तथा उप निदेशक की स्पष्ट अभिशंषा सहित भेजे।
20. आवेदक के विवाहित होने पर बच्चों का जन्मतिथि सहित विवरण का शपथ–पत्र।
21. मृतक कार्मिक के शिक्षा विभाग में चयनित/नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।